


2025 864

काठीज  
28.01.2024

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
बृजदास आदि  
वादा पत्र अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट  
बनाम  
महावीरदास आदि  
प्रकरण संख्या 586 वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
13.11.2025	<p>वकील वादीगण द्वारा यह वादा पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वादा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 15.12.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">7</p> <p style="text-align: center;">           15-12-2025            नकुमान कलक्टर - उपखण्ड/PO मीडा अहकाम            पत्रावली नं. 106/2025            दिनांक 16.12.2025            पेश हो         </p> <p style="text-align: center;">7</p>	
28.01.2024	<p>वकील वकी ने पत्रावली-पत्र निशाल पेश पेश करने पर पत्रावली के पेश में लिपा गया। वकील वकी ने निवेदन किया कि वादा- पत्र आगे नहीं चलाना चाहते है। मो पूदा क्रियति में काठीज करवाना चाहते हैं। वादा-पत्र मो पूदा क्रियति में काठीज किया जाए। पत्रावली नाम के काम की जाकर वादा वकील वकील जाकर हाजिल रकबर हो।</p> <p style="text-align: center;">7</p> <p style="text-align: center;">           सहायक कलक्टर इव            उपखण्ड अधिकारी            रावतसर         </p>	<p>28/1/24</p>  <p>90</p> <p>2</p>